कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बहराइच।

संख्या: / जि0आ0अधि0 / दु0व्य0 / 2019–20 / बहराइच दिनांक:नवम्बर, 18 2019

ई–टेण्डर संबंधी विज्ञप्ति

वर्ष 2019–20 के शेष अवधि हेतु देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानें – मनकापुर एवं केशवापुर की निरस्त अनुज्ञापनों का नियमित व्यवस्थापन किये जाने हेतु आवश्यक सूचना एवं दिशा निर्देश।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन हेतु घोषित आबकारी नीति के कियान्वयन के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–42900–42975 / दस–लाइसेंस–421 / आबकारी नीति क्रियान्वयन / 2019–20 दिनांक: प्रयागराज जनवरी 11, 2019 में दिये गये निर्देशानुसार देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानें – मनकापुर एवं केशवापुर के अनुज्ञापनों के निरस्तीकरण के पश्चात् वर्ष 2019–20 की अवशेष अवधि के लिए पुनर्व्यवस्थापन हेतु ई–टेण्डर प्रकिया द्वारा ऑफर आमंन्त्रित किये जाने की समय–सारणी निम्नवत् है –

1	Tender publicing date	17.11.2019 at 10:30
2	Document download start date	18.11.2019 at 10:30
3	Document download end date	25.11.2019 at 17:00
4	Pre bid meeting date	22.11.2019 at 10:30
5	Bid submission start date	18.11.2019 at 12:00
6	Bid submission closing date	25.11.2019 at 17:00
7	Technical bid opening date	26.11.2019 at 11:00
8	Financial bid opening date	26.11.2019 at 14:00
9	The place of bid opening	Collectrate Bahraich
10	Tender inviting officer	Collector

वर्ष 2019–20 की अवशेष अवधि हेतु देशी शराब की फुटकर बिकी दुकान – मनकापुर एवं केशवापुर के व्यवस्थापन हेतु दुकानों का विवरण निम्नानुसार है जो ऑफर हेतु न्यूनतम है–

क0सं0	दुकान का प्रकार / नाम	प्रास्थिति	वर्ष 2019–20 हेतु निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0 (36%V/V) (ब0ली0 में)	वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस (रू0में)	वार्षिक लाइसेंस फीस (रू0 में)	प्रतिभूति धनराशि (रू0 में)	साल्वेसी धनराशि (रू0 में)	धरोहर धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	देशी शराब दुकान – मनकापुर	ग्रामीण	8100	243000	1798200	179820	340200	24300
2	देशी शराब दुकान – केशवापुर	ग्रामीण	8064	241920	1790208	179021	338688	24192

नोट– अवशेष अवधि हेतु एम0जी0क्यू0 का निर्धारण ऑफर स्वीकृत होने के पश्चात् किया जायेगा।

ई–टेण्डर आवेदन / व्यवस्थापन की प्रक्रिया वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर संपादित की जायेगी तथा देशी शराब दुकान हेतु उक्त वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ऑफर सहित किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक / ऑफर दाता को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डी0एस0सी0) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेंसी से अनिवार्य रूप से तैयार करानी होगी तथा www.etender.up.nic.in पर पंजीकरण कराना होगा, जिसके माध्यम से वह देशी शराब दुकान हेतु आवेदन कर सकेगा। प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ देशी शराब दुकान हेतु रू0 18000 प्रोसेसिंग शुल्क आवेदन प्रक्रिया के रूप में देय होगा। इस पर 18 प्रतिशत की दर से 3240 जीएसटी भी नियमानुसार देय होगा। प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन पर प्रोसेसिंग शुल्क एवं जीएसटी अनिवार्य रूप से NEFT/RTGS के माध्यम से उपआबकारी आयुक्त (लाइसेंसी) और सहायक लेखा अधिकारी उ0प्र0 एक्साइज के पद नाम से पंजाब नेशनल बैंक विपुल खण्ड लखनऊ आई0एफ0सी0 कोड– PUNB0448300 बचत खाता सं0– 4483000100050375 में जमा करना होगा। आवेदक को प्रोसेसिंग शुल्क / जीएसटी NEFT/RTGS द्वारा किये गये भुगतान की बैंक रसीद एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र यथार्थ साल्वेंसी प्रमाण–पत्र अथवा आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्धारित शपथ–पत्र और आयकर रिटर्न को स्कैन करके ई–टेण्डर पोर्टल के टेक्निकल बिड सेक्शन में अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदक ऑनलाइन ऑफर प्रकाशन की तिथि तक 21 वर्ष से कम आयु का नहीं होना

चाहिए। आवेदक आबकारी राजस्व का बकायेदार या आबकारी अनुज्ञापनों हेतु विवर्जित (ब्लैक लिस्टेड) नहीं होना चाहिए। आवेदक के पक्ष में संबंधित जनपद में यदि कोई दुकान पूर्व में आवंटित हुई हो तो उसका विवरण आवेदक द्वारा देना अनिवार्य होगा।

टेक्निकल इवैलुएशन के समय आवेदक/आवेदक का प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। टेक्निकल ईवेलुएशन में सही पाये जाने पर ही आवेदकों की वित्तीय निविदा खोली जायेगी। यदि दो या दो से अधिक ऑफरदाताओं द्वारा एक समान ऑफर प्रस्तुत किया जाता है तो उनके मध्य सार्वजनिक मैनुअल लॉटरी द्वारा दुकान का आवंटन किया जायेगा। आवेदक ऑनलाइन बिड संबमिशन के अंतिम तिथि व समय तक अपनी बिड को संशोधित कर सकता है, अथवा वापस ले सकता है। ऑनलाइन ऑफर भरने पर बिल एक्नालेजमेन्ट प्राप्त होगा, जिसके आधार पर निविदा खुलते समय प्रवेश पाया जा सकेगा। दुकान आवंटित हो जाने की दशा में चयनित आवेदक को देशी शराब के प्रकरण में निर्धारित सम्पूर्ण बेसिक लाइसेंस फीस को आवंटन की सूचना प्राप्त होने के तीन कार्य दिवस में जमा करना होगा। चयनित आवेदक को प्रतिभूति धनराशि का 50 प्रतिशत दस कार्य दिवस के भीतर एवं अवशेष 50 प्रतिशत को बीस कार्यदिवस के भीतर जिला आबकारी अधिकारी के नाम से प्लेज्ड राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई आवेदक दुकान के आवंटन के पश्चात् बेसिक लाइसेंस फीस तथा प्रतिभूति धनराशि समय से जमा नहीं करता है या अन्य औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करता है तो जमा धरोहर धनराशि लाइसेंस फीस तथा प्रतिभूति यदि कोई जमा हो, को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर दुकान पुनर्व्यस्थापन की कार्यवाही की जायेगी।

बिड जमा करने से संबंधित दिग्दर्शिका आबकारी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन बिड सबमिशन शीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में सूचना उपरोक्त पोर्टल के साथ-साथ जनपद की वेबसाइट http://bahraich.nic.in पर भी देखा जा सकता है। उक्त के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बहराइच अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक से सम्पर्क कर किया जा सकता है। यदि किसी मा0 न्यायालय में इन दुकानों से संबंधित कोई वाद दाखिल किया जाता है तो दुकान हेतु प्रदत अनुज्ञापन मा0 न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के अधीन होगा।

15/11/2019

(प्रगल्भ लवानिया)
जिला आबकारी अधिकारी,
बहराइच।

(शम्भु कुमार)
जिलाधिकारी
बहराइच।

संख्या 1820-26 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 प्रयागराज।
2— संयुक्त आबकारी आयुक्त, टास्क फोर्स, उ0प्र0।
3— संयुक्त आबकारी आयुक्त, लखनऊ जोन, लखनऊ।
4— उप आबकारी आयुक्त, लाइसेंसिंग उ0प्र0, प्रयागराज।
5— उप आबकारी आयुक्त, देवीपाटन प्रभार, गोण्डा।
6— जिला आबकारी अधिकारी, बहराइच।
7— दैनिक ब्यूरोचीफ.. जनपद बहराइच को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्रों में डी0ए0वी0पी0 दर पर न्यूनतम प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें तथा बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करें।

जिलाधिकारी
बहराइच।